तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निगरानी / टीए/334/ 2022/ जैसलमेर साजन खां उर्फ साजनिया बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
12-07-2023	**एकल–पीठ** **श्री सत्तार खां, सदस्य** **उपस्थित :** श्री हरदत सहारण, अभिभाषक प्रार्थी श्री रामसुख चौधरी, उपराजकीय अधिवक्ता **आदेश** यह निगरानी अंतर्गत नियम 23(2) राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एंव विक्रय) नियम, 1975 के तहत न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी जैसलमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–12–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र आवंटन अधिकारी, ई.गा.न.प. मोहनगढ़ के समक्ष इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र उपनिवेशन में सरकारी भूमि का आवंटन हेतु प्रस्तुत किया। आवंटन सलहाकार समिति ने प्रार्थी की भूमि आवंटन की पात्रता के आधार पर दिनांक 11–01–1993 को आवंटित भूमि का मौके पर कब्जा दे दिया। प्रार्थी पर लगी तीन एफ.आई.आर. के कारण आवंटन अधिकारी एवं उपायुक्त उपनिवेशन ई.गा.न.प. जैसलमेर द्वारा दिनांक 08–10–1997 को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध एक अपील राजस्व अपील अधिकारी, जैसलमेर के समक्ष प्रस्तुत की जो राजस्व अपील अधिकारी, जैसलमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14–12–2021 द्वारा अपील को अस्वीकृत कर दिया जिससे व्यथित होकर प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। उभय पक्ष की बहस निगरानी के गुणावगुण पर सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के अभिभाषक ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि प्रार्थी एक सद्भावी ग्रामीण इलाके का रहने वाला व्यक्ति है। आपसी रंजीश एवं राजनैतिक द्वेषता के चलते प्रार्थी के विरूद्ध झूठे मुकदमे दर्ज करवाये थे जो खारिज हो गये जिसकी प्रति संलग्न है, प्रार्थी के द्वारा कोई भी संगीन अपराधों के तहत कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई जो भी एफ.आई.आर. दर्ज हुई वह सभी प्रकरणों में प्रार्थी बरी हुआ है इस प्रकार प्रार्थी कोई देशद्रोही	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए/334/ 2022/ जैसलमेर** **साजन खां उर्फ साजनिया बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	या संगीन अपराध में लिप्त नहीं रहा परंतु पुलिस अधीक्षक जैसलमेर के द्वारा प्रार्थी के सभी नजदीकी रिश्तेदार, तस्करी व अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में लिप्त है एवं उसका सगा भाई नजरबंद है इसका पिता, भाई, काका आदि तस्करी कार्य में लिप्त है, के आधार पर आवंटन निरस्त किया गया है परंतु उक्त रिपोर्ट के बाबत कोई दस्तावेज से साबित नहीं है कि प्रार्थी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों एवं तस्करी करता हो। पुलिस अधीक्षक जैसलमेर द्वारा दिनांक 31–01–2019 को कार्यालय थानाधिकारी, पुलिस थाना रामगढ़ जिला जैसलमेर को पत्र जारी किया गया जिसमें चार प्रकरण में से तीन में बरी एवं एक में सजा के लिए लिखा गया इस प्रकार ज्यादातर प्रकरण झूठे एवं बेबुनियाद होने से खारिज हुए एवं प्रार्थी बईज्जत बरी हुआ था इस प्रकार जो पुलिस अधीक्षक द्वारा बिना किसी आधार के रिपोर्ट भेजी थी, के आधार पर बिना समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकतरफा में ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाकर प्रार्थी का आवंटन निरस्त किया गया था को राजस्व अपीलीय अधिकारी द्वारा बहाल किया जाना चाहिए था परंतु अपीलीय न्यायालय ने सरसरी तौर पर बिना पत्रावली के अवलोकन किये ही निगरानाधीन आदेश पारित कर दिया इसलिए दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी, जैसलमेर का आदेश दिनांक 14–12–2021 एवं आवंटन अधिकारी एवं उपायुक्त उपनिवेशन ई.गा.न.प. जैसलमेर को आदेश दिनांक 08–10–1997 को निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थी को हुये आवंटन आदेश दिनांक 11–01–1993 को यथावत् रखा जाने के आदेश प्रदान करावें। उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कहा कि प्रार्थी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 सपठित (संशोधित) नियम 1992 के नियम 16 (6) के तहत उक्त आवंटन निरस्त किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। Evidence Act के अनुसार रिलिफ चाहने वाले पक्षकार को अपने पक्ष में साबित करना होता है जिसमें असफल रहे है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार कब्जा प्रार्थी का नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय आवंटन अधिकारी एवं उपायुक्त उपनिवेशन ई.गा.न.प. जैसलमेर द्वारा दिनांक 08–10–1997 को आवंटन निरस्त किया गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने 23 वर्ष 3 माह के पश्चात मियाद बाहर अपील न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी जैसलमेर के समक्ष प्रस्तुत की। प्रार्थी द्वारा इतनी लम्बी अवधि को क्षम्य करने हेतु कोई ठोस कारण भी अपने मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निगरानी / टीए/334/ 2022/ जैसलमेर साजन खां उर्फ साजनिया बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए

जिससे प्रार्थना पत्र के तथ्यों पर विश्वास कर मियाद को क्षम्य किया जा सके। एक एक दिन हुई देरी को स्पष्ट करना एवं ठोस कारण बताना आवश्यक है। जिसके आधार पर अपीलीय न्यायालय ने अपील मियाद बाहर मानते हुए गुणावगुण के आधार पर निरस्त की है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि कारित नहीं की है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं आलोच्य आदेश का अद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवंटन अधिकारी एवं उपायुकत उपनिवेशन, जैसलमेर द्वारा प्रार्थी को दिनांक 11–1–1993 को चक नम्बर 4 एस.बी.एस. के मुरब्बा नम्बर 76/34 के किला नम्बर 1 ता 25 रकबा 25.00 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। तत्पश्चात जिला कलक्टर, जैसलमेर के अपने पत्र क्रमांक राजस्व/उपनिवेशन/97/3870/05–8–1997 द्वारा पुलिस अधिक्षक जिला जैसलमेर के रिपोर्टानुसार प्रार्थी श्री साजन उर्फ साजनिया पुत्र बलाणे खां के विरूद्ध पुलिस थाना मोहनगढ़ में सम्बन्धित आपराधिक प्रकरण का विवरण निम्नानुसार है–

कॉलम 6 (i)– में सी.आर. नम्बर 23/85 अर्न्गत धारा 147, 323, 341 आई.पी.सी, कॉलम 6 (ii)– सी.आर नम्बर 25/83 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 323 आई.पी.सी. व कॉलम 6 (iii)– सी.आर. नम्बर 29/91 अन्तर्गत धारा 3/6 पी.पी.आर दर्ज है। इसके साथ ही डी.बी.आई.आर नम्बर 24 दिनांक 07–3–1987, 115 दिनांक 26–11–1986, 88 दिनांक 06–9–1993 व 119 दिनांक 01–12–1993 की टिप्पणी दर्ज है। प्रार्थी स्वयं तस्कर व अराष्ट्रीय तत्व है तथा इसके सभी नजदीकी रिस्तेदार तस्करी व अराष्ट्रीय में पूर्ण रूप से लिप्त है तथा सभी अपने नाम व अपने नातेदारों के नाम एक ही एरिया में नहरी जमीन आवंटित करवा रहे है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 सपठित (संशोधित) नियम 1992 के नियम 16 (6) के तहत उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश के विरूद्ध एक अपील राजस्व अपील अधिकारी, जैसलमेर के समक्ष प्रस्तुत की। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जैसलमेर ने पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर के पत्रांक 598 दिनांक 06–2–2019 से प्राप्त नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मुकदमा संख्या 23/1985 व मुकदमा संख्या 25/1985 में प्रार्थी को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए/334/ 2022/ जैसलमेर** **साजन खां उर्फ साजनिया बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए

सजा दी गई है जिसे नहरी भूमि का आवंटन राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं मानते हुए राजस्व अपील अधिकारी, जैसलमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14–12–2021 द्वारा अपील को निरस्त कर दी गई।

जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर के पत्रांक 598 दिनांक 06–2–2019 के अनुसार प्रार्थी श्री साजन खां पुत्र श्री बलाणे खां के विरूद्ध चार मुकदमें दर्ज हैं। जिसमें मुकदमा संख्या 23/30–9–1985 व मुकदमा संख्या 25/18–10–1985 में सजा दी गई है तथा मुकदमा संख्या 23/27–5–1986 व मुकदाम संख्या 29/28–6–1991 में प्रार्थी को बरी किया गया है। हमारी सुविचारित राय में प्रार्थी को सजा घोषित किये जाने तथा राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण प्रार्थी/आवंटी श्री साजन खां सद्भावी कृषक काश्तकार नहीं है। ऐसी दशा में न्यायालय आवंटन अधिकारी एवं उपायुक्त उपनिवेशन, जैसलमेर व न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी जैसलमेर के निर्णय में ऐसी कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर गिनरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप अपेक्षित किया जा सके। इसके अलावा आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 08–10–1997 को आवंटन निरस्त किया गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने 23 वर्ष 3 माह पश्चात मियाद बाहर न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी जैसलमेर के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की। एक एक दिन हुई देरी को स्पष्ट करना एवं ठोस कारण बताना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा इतनी लम्बी अवधि को क्षम्य करने हेतु कोई ठोस कारण भी अपने मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया। जिसके आधार पर अपीलीय न्यायालय ने अपील मियाद बाहर मानते हुए गुणावगुण के आधार पर निरस्त की है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि कारित नहीं की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिसमे क्षेत्राधिकार के उपयोग, अथवा निहित किये गये क्षेत्राधिकार के गलत उपयोग अथवा गंभीर अनियमितता के साथ क्षेत्राधिकार के उपयोग की त्रुटी विद्वान अभिभाषक प्रार्थी हमारे सम्मुख दृष्टव्य नहीं कर पाये। अतः निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

परिणामतः हस्तगत् निगरानी एतद्द्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली बाद फैसल शुमार तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्तार खां)
सदस्य